आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

Digitally signed by Pankaj Kumar Singh
Date: 2023.08.01 13:37:05 +05:30
Location: 192.168.29.160

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, गढ़वा

भूमि बिक्री अनुमति वाद सं०–02/2023

सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत

राघो देवी—विक्रेता

प्रति

श्री सीता राम चौधरी— क्रेता

–:आदेश:–

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक/विक्रेता राघो देवी, पति–स्व० शिवपुजन प्रसाद बिन्द, ग्राम–जोबरईया, पोस्ट–नवादा, थाना–गढ़वा, जिला–गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्री सीता राम चौधरी, पिता–स्व० बुधन चौधरी, ग्राम–संग्रहे कलॉं, पोस्ट–संग्रहे कलॉं, थाना–गढ़वा, जिला–गढ़वा को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत भूमि बिक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, गढ़वा से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ एवं आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा के पत्रांक 236/दिनांक 11.05.2023 के द्वारा अंचल अधिकारी, गढ़वा का जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के पति के नाम से मांग चलता है। विक्रेता जाति के बिन्द (पिछड़ा वर्ग) एवं क्रेता जाति के मल्लाह सुरिया (पिछड़ा वर्ग) के सदस्य है, विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदक/विक्रेता के शांतिपूर्ण दखल–कब्जे में हैं। यह भूमि भूदान, भू–हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।

अतः उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा एवं अंचल अधिकारी, गढ़वा के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदक/विक्रेता राघो देवी, पति–स्व० शिवपुजन प्रसाद बिन्द, ग्राम–जोबरईया, पोस्ट–नवादा, थाना–गढ़वा, जिला–गढ़वा ने क्रेता श्री सीता राम चौधरी, पिता–स्व० बुधन चौधरी, ग्राम–संग्रहे कलॉं, पोस्ट–संग्रहे कलॉं, थाना–गढ़वा, जिला–गढ़वाको नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की बिक्री करने हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अन्तर्गत बिक्री हेतु हस्तान्तरण करने की स्वीकृति दी जाती है।

भूमि का विवरण:–

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
जोबरईया	240	04	609	$0.04\frac{3}{4}$	उ०–रमेश बिन्द, द०–कृष्णा यादव पू०–10 फीट चौड़ा रास्ता, प०–अनिरूद्ध मिस्कार,
			कुल रकबा:–	$0.04\frac{3}{4}$	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।
लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता
गढ़वा

अपर समाहर्त्ता
गढ़वा